रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 1987/चैत्र 25, 1909
No. 82] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 1987/CHAITRA 25, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1987

शुद्धि-पत्र

फाईल स. आर 11012/2/84—आर. डब्ल्यू. —भारत के राजपत्र असाधारण भाग 1 खंड 1 मे प्रकाशित श्रम मंत्रालय तारीख 11-1-85 के सकल्प सख्या आर. 11012/2/84—आर डब्ल्यू मे पैरा 5 के लिए निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"उक्त ग्रुप अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई, 1987 को या इससे पहले प्रस्तुत करेगा"।

ए. के श्रीवास्तव, महानिदेशक (श्रम कल्याण)

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 15th April, 1987

CORRIGENDUM

File No. R. 11012|2|84-RW.—In the Ministry of Labour Resolution No. R. 11012|2|84-RW dated 11-1-1985, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-I, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted ; namely :—

"5. The Group will submit its report on or before the Thirty First day of July, 1987".

A. K. SRIVASTAVA, Director General (Labour Welfare)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987